...ना पत्र संख्या 123 / 2018

...क आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
24.10.2018	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से जरिये वकील पेश किया गया। वकील प्रार्थी को इकतरफा सुना गया। प्रस्तुत प्रा0पत्र में अंकित तथ्यों की ताईद करते हुए अपने कथन किया कि प्रार्थी के हिस्से कब्जे अनुसार प्रश्नगत भूमियों में प्रार्थी के वंशानुगत हक हिस्सा व कब्जे, उपयोग उपभोग में बाधा दखल करते हुए अप्रार्थीगण विवादित भूमि में वर्तमान कब्जे, मौके व रिकार्ड में परिवर्तन कराने पर आमदा होकर प्रार्थी की फसल को नष्ट कर बेदखल करना चाहते हैं। प्रार्थी के विवादित भूमि प्रार्थी के कब्जे हिस्से में अप्रार्थीगण का कोई लेना देना नहीं है। उपरोक्त कथनों सहित अपनी बहस में प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने हेतु निवेदन किया है। जिस पर हमने प्रस्तुत प्रा0 पत्र, शपथ पत्र व पत्रावली का अवलोकन किया एवं वकील प्रार्थी के कथनों पर मनन किया। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से आगामी आदेश तक पाबन्द किया जाता है कि ग्राम खवारानीजी में अविभाजित खसरा नं. 472 रकबा 0.03 हैक्टेयर, 584 रकबा 0.72 हैक्टेयर एवं खसरा नं0 610 रकबा 2.15 हैक्टेयर में विवादित भूमि का बैचान, अंतरण व हस्तांतरण नहीं करावे तथा वर्तमान कब्जे, मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखे तथा प्रार्थी के पैतृक वंशानुगत हक कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में बाधा दखल नहीं करे। उक्त कार्य अप्रार्थीगण अन्य से भी न करावे। यदि उक्त आदेश से किसी को कोई आपत्ति हो तो न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर पेश करे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो व आदेश की पलनार्थ तहसीलदार व थानाधिकारी को तहरीर जारी किया जाकर तलबी अप्रार्थीगण कर पत्रावली दिनांक 24.01.2019 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़
24/1/19	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप0। पत्रावली पूर्वानुसार वास्ते तलबी/बहस दिनांक 19/3/19 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़
19/3/19	मूलवाद के निस्तारण का प्रार्थना पत्र पेश होने पर पत्रावली आज पेश हुई। मूलवाद को निस्तारित किया है अब इस प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं। इसलिए प्रार्थना पत्र 212 R.T. Act को खारिज

गिरिराज शर्मा

मु०नं० 123/18   निर्मला बनाम रामगोपाल

किया जाता है पत्रावली फैसल
शुमार होकर नम्बर से कम हो
बाद तामील दाखिल दफ्तर हो

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

[illegible]
[illegible] पेश की गई। [illegible]
[illegible] की पेश हो।